की बहन के पौत्र को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ऐसे मामले सिर्फ रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं हैं, इनमें काबू पाने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग आवश्यक है। रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि एक जुलाई से आरपीएफ यात्री गाड़ियों में मार्ग-रक्षक रहेंगे तथा यात्रियों की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसमें पहला काम तो यह होना चाहिए कि जिस ट्रेन में ऐसी वारदातें हों उसमें नियुक्त पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस इलाके में ऐसी वारदात होती है वहां के रेल प्रशासन और सामान्य प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वारदात के बाद कार्रवाई अपनी जगह पर हैं पर ज्यादा जरूरत घटनाओं को रोकने की है और इसके लिए सब का सहयोग आवश्यक है।

हमारे प्रदेश झारखंड के, जो उग्रवाद से भी प्रभावित है, कई जिलों में हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है। अभी हाल ही में पलामू जिले में एक स्टेशन को भी उग्रवादियों ने जला दिया है और वह जो स्थान है, वहां पर प्रतिदिन एक ऐसी ट्रेन है जहां हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी डकैती की घटनाएं होती रहती है। समय-समय पर इस ओर ध्यान भी आकृष्ट किया गया है। हालांकि कई घटनाएं राजनीतिक कारणों से भी हुई हैं। झगड़ा राजनीतिज्ञों में होता है लेकिन निशाना निर्दोष यात्री बनते हैं। कुछ मामलों में प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के शामिल होने की भी बात कही गई है। इस ओर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा। बंद और आंदालन के समय रेलों को निशाना बनाया जाता है। इन सारी बातों पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि रेल बजट में आरक्षण की अनेक नई सुविधाएं आरम्भ करने की घोषणा की गई है जिसमें मोबाइल फोन के जरिए आरक्षण की सुविधा भी शामिल है। तत्काल आरक्षण सेवा का भी विस्तार किया गया है। कई पायलट परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। मैं इन कदमों का स्वागत करता हूं।

अंत में मैं पुन: रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The hon. Minister for Parliamentary Affairs has to lay some Papers on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on behalf of Shri Anandrao Vithoba Adsul, I lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), together with Explanatory Memoranda on the Notifications:—

Notification No. 13/2004-Customs (N.T.), dated the 3rd February, 2004, seeking to further amend the Notification No. 30/98-Customs (N.T.), dated the 2nd June, 1998, so as to double the free allowances of various categories of passengers coming from abroad.

Notification No. 33/2004-Customs dated the 3rd February, 2004, seeking to further amend the Notification No. 136/90-Customs, dated the 1st March, 1990, so as to reduce the baggage rate of duty above the free allowance from 50 per cent *ad valorem* to 40 per cent *ad valorem.*

THE VICE-CHAIRMAN: Further discussion on the Interim Railway Budget will continue tomorrow. The House stands adjourned till 11.00 a.m. on 4th February, 2004.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 4th February, 2004.

MGIPMRND—5228RS—18.05.2004.